"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2016—— आश्विन 29, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–10/आठ–परि./2016. — छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के अनुसार शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में "एकमुश्त निपटान" व्यवस्था के अन्तर्गत, इसमें विनिर्दिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 28–02–2017 तक निम्नानुसार छूट प्रदान करती है, अर्थात् :–

1. देय कर की राशि में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी ।

2. लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगी,–

   (एक) 2001 के पूर्व की कालावधि तथा 2001 एवं 2004 की कालावधि के बीच के वाहनों को पूर्ण छूट;

   (दो) 2005 एवं 2008 की कालावधि के बीच के वाहनों को उक्त राशि में 75% छूट;

   (तीन) 2009 एवं 2012 की कालावधि के बीच के वाहनों को उक्त राशि में 50% छूट;

   परन्तु यह कि,

   (क) कर, तथा

   (ख) छूट के बाद देय शास्ति एवं ब्याज की राशि को,
   एकमुश्त जमा किया जायेगा ।

3. छूट उपरांत देय राशि को जमा करने में विफल होने की स्थिति में, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के प्रावधानों के अनुसार वाहन का पंजीयन रद्द किया जायेगा ।

4. उपरोक्तानुसार पंजीयन रद्द किये गये वाहनों के मालिकों से देय राशि को वसूल करने हेतु कानूनी कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी ।

No. F 5-10/VIII/Trans./2016. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, grants the following rebate in amount recoverable under Penalty and Interest as per the provision of Section 15 of the said Adhiniyam under the arrangement of "One Time Settlement" subject to the restrictions and conditions specified herein and from the date of publication of this notification in the Official Gazette till 28-02-2017; namely :-

1. No rebate shall be given in the amount of due tax.

2. Following Rebate shall be given in the amount of pending penalty and interest,-

   (i) Full rebate to the vehicles of period before 2001 and between the period of 2001 and 2004;

   (ii) 75% rebate in the said amount to vehicles between the period of 2005 and 2008;

   (iii) 50% rebate in the said amount to vehicles between the period of 2009 and 2012;

   Provided that,

   (a) tax, and

   (b) amount of penalty and interest due after rebate,
   are deposited in lump-sum in one time.

3. In the event of failure to deposit due amount after rebate, the registration of the vehicle shall be cancelled as per the provisions of Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988).

4. Legal action shall be initiated for recovery of the amount due from the owners of the vehicles whose registration has been cancelled as herein above.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.